

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 13 /2010)

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 13 /2010) हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 14.07.2012 को सम्पन्न (प्रारंभिक) परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 272 है। इन 272 उम्मीदवारों में सामान्य कोटि (01) के 141, अनुसूचित जाति (02) के 60, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) के 41, पिछड़ा वर्ग (05) के 15 एवं पिछड़ा वर्ग की महिला (06) के 10 उम्मीदवार हैं जिनमें 03 विकलांग उम्मीदवार सन्त्रिहित हैं। इसके अतिरिक्त 05 उम्मीदवारों को विकलांगता के आधार पर सफल घोषित किया गया है। आयोग उपर्युक्त सफल घोषित 272 उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन आमत्रित करता है।

मुख्य (लिखित) परीक्षा के आयोजन की अवधि के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जायेगी।

लिखित परीक्षा चार विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिन्दी – 100 अंक तथा सामान्य अध्ययन (दो पत्र), प्रत्येक पत्र 200 अंकों क, होगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से किसी दो विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में रखना अनिवार्य है जिसमें एक विषय सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र को लेना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय के दो पत्र होंगे, जिसके लिए प्रति पत्र 200 अंक निर्धारित है।

- (क) अनिवार्य विषय एवं उनके कोडः— सामान्य हिन्दी (01), सामान्य अध्ययन (02)
(ख) वैकल्पिक विषय एवं उनके कोडः—

विषय	विषय कोड
कृषि विज्ञान	04
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	05
मानव विज्ञान	06
वनस्पति विज्ञान	07
रसायन विज्ञान	08
सिंचित इंजीनियरी	09
वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	10
अर्थशास्त्र	11
विद्युत इंजीनियरी	12
भूगोल	13
भू-विज्ञान	14
इतिहास	15
श्रम एवं समाज कल्याण	16
विधि	17
प्रबन्ध	18
गणित	19
यांत्रिक इंजीनियरी	20
दर्शन शास्त्र	21
भौतिकी	22
राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	23
मनोविज्ञान	24
लोक प्रशासन	25
समाज शास्त्र	26
सांख्यिकी	27
प्राणी विज्ञान	28
हिन्दी भाषा और साहित्य	29
अंग्रेजी भाषा और साहित्य	30
उर्दू भाषा और साहित्य	31
बगला भाषा और साहित्य	32
संस्कृत भाषा और साहित्य	33
फारसी भाषा और साहित्य	34
अरबी भाषा और साहित्य	35
पाली भाषा और साहित्य	36
मैथिली भाषा और साहित्य	37

टिप्पणी :-

- उम्मीदवार गणित (19) तथा सांख्यिकी (27) विषयों को एक साथ वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं रख सकते हैं।
- प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घटे की अवधि का होगा।
- सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक भाषा में दिये जा सकते हैं; किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होती।
- प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्याश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं।

सामान्य हिन्दी में अहंताक 30 है, जो अनिवार्य है किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जायेगी। शेष तीन विषयों में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चाँतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जैसा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, विहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 द्वारा विहित है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

- मेधा सूची :** लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसके लिए 150 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार म प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची बनायी जायगी, और तबनुसार अंतिम परीक्षाफल घोषित किया जायगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रविधि:

- आवेदन निर्धारित प्रपत्र में १-४ आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpcc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर ही भेजें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, टकित, हस्तालिखित, मुद्रित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बाल प्लाइट पेन से स्वहस्तालिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- आवेदन पत्र में स्थित आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे
 - आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्तम्भ, इस प्रकार भरा जाय —

सि	न	ि	धा	र
----	---	---	----	---
 - हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।
 - आवेदन की कंडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।
 - आवेदन की कंडिका 2(iv) में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें। पिछड़े वर्ग की महिला कोटि की उम्मीदवार बॉक्स में 06 लिखने के साथ-साथ अपनी मूल आरक्षण कोटि भी इस प्रकार भरें, यथा; जिनकी मूल आरक्षण कोटि 05 है, बॉक्स में 05, 06 भरें।
 - आवेदन की कंडिका 4(i) भाषेतर विषय का उत्तर किस विषय में देना चाहते हैं, में हिन्दी के लिये 1 भरें, उर्दू के लिये 2 भरें एवं अंग्रेजी के लिये 3 भरें। उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
 - जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (X) कर दें।
 - क्रमांक 9 “शैक्षक योग्यता” के अधीन ‘प्राप्तांक’ एवं प्रतिशत के पूर्णांक

- स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।
- स्तम्भ (कॉलम) 16 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।
 - स्तम्भ (कॉलम) 17 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (X) कर दें।

2. फोटोग्राफः

- आवेदन पत्र के पृ. 1 एवं 3 पर फोटो विषयक नीले छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो प्रारम्भिक परीक्षा में प्रयुक्त फोटो के अनुरूप ही (एक ही निर्गेटिव से बना) होना चाहिए। अन्य एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

3. लिफाफा:

- लिफाफा के ऊपर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 13 /2010) अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना अनुक्रमांक, नाम एवं पूरा पता अंकित करें।

4. आरक्षण:

- आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इग्निट आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और सबधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अकित किये जायेंगे।
- 5. शुल्क:** केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 75/- (पचास हत्तर) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 125/- (एक सौ पचास) रुपये तथा अन्य के लिए 300/- (तीन सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 350/- (तीन सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लाय। चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।
- 6. अन्य:**
- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र एवम् अक पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र सहित) एवम् विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स्वअभिप्रमाणित) अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
 - (ii) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।
- 7. अंतिम तिथि:**
- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि बुधवार, दिनांक 28.11.2012 की सध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
 - (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं हाँगा।

परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना